भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 425**

जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है

**ई-बसें और सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण**

425 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत अब तक आवंटित की गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या कितनी है, और इसका राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों के परिवहन निगमों (एसआरटीसी) को वित्तीय संकट के कारण इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और रखरखाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए लागू की गई स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत अब तक कुल कितने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 116 शहरों के लिए 10,000 बसों को मंजूरी दे दी है, जैसा कि अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख) शहरी परिवहन शहरी नियोजन का एक हिस्सा है, जो राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें वित्तीय और परिचालन नियोजन सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, शहरों को संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए एकमुश्त केंद्रीय सहायता (मीटर के पीछे बिजली के लिए 100% और सिविल अवसंरचना के लिए 60-100%) के साथ-साथ 10 वर्षों तक या मार्च 2037 तक, जो भी पहले हो, बस संचालन के लिए केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान की जा रही है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सहायता (सीए) से किराया संग्रहण (फेयरबॉक्स) और गैर-किराया (नॉन-फेयरबॉक्स) संग्रहण राजस्व के अतिरिक्त कोई भी संसाधन अंतर (रिसोर्स गैप) होता है, तो उसका वहन संबंधित शहर/राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

इस योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें सफल निजी संचालक (ऑपरेटर) बसों के प्रापण (खरीद), अनुरक्षण और संचालन का कार्य करता है और संचालको को शहर द्वारा कुल सुनिश्चित न्यूनतम किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के आधार पर एक निश्चित दर पर भुगतान किया जाता है।

(ग) दिनांक 13.07.2026 तक, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में 3,94,038 निजी वाहन और 1,98,062 सरकारी वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं।

**'ई-बसें और सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण'** के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 22.07.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

स्वीकृत 10,000 बसों का राज्य-वार विवरण (दिनांक 10.07.2026 तक)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | शहरों की संख्या | बसों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1 | 45 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 11 | 1050 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 50 |
| 4 | असम | 1 | 100 |
| 5 | बिहार | 6 | 400 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 428 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 4 | 240 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 1 | 50 |
| 9 | गोवा | 1 | 50 |
| 10 | गुजरात | 8 | 750 |
| 11 | हरियाणा | 7 | 450 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 50 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 2 | 200 |
| 14 | कर्नाटक | 10 | 750 |
| 15 | केरल | 3 | 293 |
| 16 | लद्दाख | 1 | 48 |
| 17 | मध्य प्रदेश | 8 | 972 |
| 18 | महाराष्ट्र | 22 | 1609 |
| 19 | मणिपुर | 1 | 50 |
| 20 | मेघालय | 1 | 55 |
| 21 | ओडिशा | 5 | 400 |
| 22 | पुदुचेरी | 1 | 75 |
| 23 | पंजाब | 5 | 447 |
| 24 | राजस्थान | 9 | 1150 |
| 25 | तेलंगाना | 2 | 151 |
| 26 | उत्तराखंड | 2 | 137 |
| | **कुल** | **116** | **10,000** |

*****